

॥ कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी, म.प्र. ॥

॥ आ दे श ॥

क्रमांक:-213/दो-11-42/95

शिवपुरी,दिनांक :-10/06/2021

श्री रामजीलाल भार्गव, रीडर ग्रेड-1 न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 खनियांधाना जिला शिवपुरी का दिनांक 21.06.21 से 26.06.21 तक कुल 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश काल में इनका पद रिक्त रहेगा।

अर्जित अवकाश स्वीकृति पश्चात् अवकाश लेखा में 291 दिवस का स्वत्व शेष है।

सही/-


जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवपुरी, म.प्र. 0।

पृष्ठां.क्रमांक:- 8/1679 /दो-11-42/95

शिवपुरी,दिनांक :-11/06/2021

प्रतिलिपि यथानिर्देशित :-

1. न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 खनियांधाना जिला शिवपुरी।
2. श्री रामजीलाल भार्गव, रीडर ग्रेड-1 न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 खनियांधाना जिला शिवपुरी का अर्जित अवकाश, इस निर्देश के साथ स्वीकृत किया जाता है कि भारत सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय प्रशासन/माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के कोविड-19 के निर्देश का पालन/सामाजिक दूरी का पालन करेंगे।
3. लेखापाल, लेखा-अनुभाग मुख्यालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शिवपुरी, म.प्र.।